**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
(UNDER SECTION 18 READ WITH SECTION 14 AND 15 OF THE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010)
ORIGINAL APPLICATION NO. 101 OF 2025**

In The Matter Of:

Pradeep Dahiya … Applicant

Versus

Department of Mines and Geology, Haryana & Ors. … Respondents

INDEX

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NO
1.	Additional Affidavit of Applicant	1-4
2.	**ANNEXURE A-1**: Copy of Photographs dated 02.04.2025	5-14
3.	**Annexure A-2:** Copy of FIR No. 108 dated 30.03.2025 registered u/S 303(2) OF BNS 2023 and u/ s 4, 21 of The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and u/s-2, 3 of The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 registered with Police Station Gangoh District Saharanpur	15-22
4.	Annexure A-3 Copy of Newspaper Articles dated 29.03.2025 and 02.04.2025	23-24
3.	PROOF OF SERVICE	25

THROUGH COUNSEL

Place: NEW DELHI
Date: 02.04.2025

MUSTAFA SAJAD
B-169, Freedom Fighters Enclave, Saket -110068
Email:mustafasajad.legal@gmail.com
Mob No.:9070786786

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(UNDER SECTION 18 READ WITH SECTION 14 AND 15 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010)

ORIGINAL APPLICATION NO. 101 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Pradeep Dahiya … Applicant

Versus

Department of Mines and Geology, Haryana & Ors. … Respondents

ADDITIONAL AFFIDAVIT

I, Pradeep Dahiya S/o Dhara Singh, Aged About 46 Years, R/o House No. 75- Kheri Mana Jat (61), Sonipat, Haryana-131103 do hereby solemnly affirm and declare as under presently at delhi:

1. That the present matter was listed before this Hon'ble Tribunal on 07.03.2025. During the course of hearing, the counsel for the Applicant had made reference to a map showing the routes to be used for transport of mined material. However, the printed copies of the said map being unclear, this Hon'ble Court had given 2 weeks' time to place on record the relevant material by way of supplementary affidavit. Accordingly, the Applicant had furnished the maps with regard to the usage of multiple roads by the Project Proponent to the mining site.
2. That the Applicant seeks permission of this Hon'ble Tribunal to place on record further documents that are necessary for the adjudication of the present matter.
3. That the Applicant in his original application has stated that the PP is in violation of EC condition No. 7 which states; "The PP shall provide only one exit and one entry to the Mining Project area and the mining shall be dispatched through E-billing." It is submitted that as

NOTARY PUBLIC App By Govt. of India Regd. No. 6971 Area Delhi NCR Juris Extd. Whole India Expiry Date Feb 2030 MINATI RANI MOHAPATRA

B Dahiya

per the photographs taken by the Applicant on 02.04.2025, it can be clearly seen that the PP is using 3 roads, weigh-bridge points which shows the clear violation of EC condition. Additionally, it is also relevant to state, that as per the clause 4.23 of the Letter of Intent dated 21.08.2022,

"4.23 The total mineral excavated and stacked by the concession holder within the area granted on mining contract shall not exceed three times of the average monthly production as per approved mining plan and/or quantity approved under Environmental Clearance, at any point of time."

NOTARY PUBLIC App By Govt. of India Regd. No. 36971 Area Delhi NCR Juris Exd. Whole India Expiry Date Feb 2030 MINATI RANI MOHAPATRA

It is submitted, that as per the EC, the PP has been granted ancillary areas only in Village Garhpur and Kalsora. However, the PP is also storing/stacking excavated mineral at Village Chandraon and is using the roads from each of the 3 villages forming part of the Mining Unit. This is also evident from the photographs dated 02.04.2025.

A copy of the photographs along with Geo tags dated 02.04.2025 are annexed herewith as **Annexure A-1 (colly)**.

4. It is further relevant to submit, that after the signing of the mining agreement and after receiving the relevant necessary licenses/consents, the PP is required to provide weigh-bridge points/routes duly accompanied with IP address and geolocations which are uploaded on the portal provided by the Department of Mining and Geology. The said information is thereafter, used for issuing e-Ravana bills. Thus, it is humbly submitted, that the PP in pursuance of the procedure established would have either mentioned all 3 weigh-bridge points which itself is an admission of violation of the EC condition or having not disclosed the same but using the roads/ weigh-bridge points in excess of those permitted by

B Dahiya

EC would also amount to violation. Therefore, it is submitted that the Mining Department is well-aware of the violations of the EC in so far as it has allowed the PP to maintain 3 weigh-bridges at 3 different locations thus allowing E-ravana bills to be issued from each weigh-bridge.

5. That additionally the PP in another mining unit situated at Nangal Sand Unit, District Karnal which is located at a mere distance of 10-15 kms, a FIR No. 108 dated 30.03.2025 has been registered against the PP and certain unknown persons for illegally mining in borderland area of District Saharanpur, U.P. As per the FIR, on a joint on-site inspection conducted on 29.03.2025 at the Yamuna River in the area of Tatarpur and Nagal Rajput, Tehsil Nakud, it was found that the PP had engaged in illegal mining of sand by obstructing the river flow within the Yamuna River, beyond the approved mining lease area. This illegal mining occurred in the Uttar Pradesh state territory, specifically in the villages of Tatarpur and Nagal Rajput in Tehsil Nakud. Furthermore, an assessment was conducted using geo-coordinates to verify the boundary markers that define the Uttar Pradesh and Haryana state limits as per the "Dikshit Award." It was discovered that the leaseholder had encroached beyond the designated mining lease area and the boundary markers, thereby conducting illegal mining of sand from a total area of 7,414 square meters within the Yamuna River's watercourse. The depth of the excavation was found to be approximately 2 meters, leading to the illegal extraction of 14,828 cubic meters of ordinary sand.

   A copy of the FIR No. 108 dated 30.03.2025 registered under Sections 303(2) OF BNS 2023 and under section 4, 21 of The Mines

NOTARY PUBLIC App By Govt. of India Regd. No. 16971 Area Delhi NCR Juris Extd. Whole India Expiry Date Feb 2030 MINATI RANI MOHAPATRA

B Dahiya

and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and under section 2, 3 of The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 registered with Police Station Gangoh District Saharanpur is annexed herewith as **Annexure A-2.**

6. That during the time of investigation into the illegal mining activity, newspaper articles published in Dainik Bhaskar further depicted the illegal mining activities undertaken by the PP. A copy of the Newspaper articles dated 29.03.2025 and 02.04.2025 are annexed herewith as **Annexure A-3 (colly)**.

7. I state that the annexures annexed to the present application are true copies of their originals.

DEPONENT

IDENTIFIED

VERIFICATION :

Verified at New Delhi on this the day of April, 2025 that the contents of my above affidavit are true and correct as per my belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY PUBLIC
App By Govt. of India
Regd. No. 16971
Area Delhi NCR
Juris Extd. Whole India
Expiry Date Feb 2030
MINATI RANI MOHAPATRA

ATTESTED
MINATI RANI MOHAPATRA
NOTARY DELHI-R-16971
GOVERNMENT OF INDIA
SUPREME COURT OF INDIA
COMPOUND NEW DELHI
REGISTER Pg./Sl. No.

MINATI RANI MOHAPATR
ADVOCATE (NOTARY)
Mob. No.: 8130128457

02 APR 2025

Weigh-bridge at Village Kalsor

ANNEXUREA-1

Road from village Kalsora

Ancillary area at Village Kalsora

Weigh-bridge at Village Garhpur Tapu

Ancillary area at Village Garhpur Tapu

Check point at village Garhpur Tapu

INTERNAL MINING ROAD AT VILLAGE CHADANDRA

Road at Village Chandraon

Entry to Mine through Village Chadraon

weigh-bridge at Village Chandraon

ANNEXUREA-2

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** सहारनपुर
P.S. (थाना): गंगोह **Year (वर्ष):** 2025
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0108
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 30/03/2025 17:57

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
4	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	2
5	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day (दिन):** शनिवार **Date From (दिनांक से):** 29/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 29/03/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

TRUE COPY

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 30/03/2025 Time (समय): 17:57 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 030 Date & Time (दिनांक और समय): 30/03/2025 17:57 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर - पश्चिम, 08 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ततारपुर व नागल राजपूत की ,सीमा मे यमुना नदी के अन्दर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

TRUE COPY

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री अभिलाष चौबे

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खान निरीक्षक खनन विभाग डीएम ,कार्या0 स0पुर ,गंगोह, सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	खान निरीक्षक खनन विभाग डीएम ,कार्या0 स0पुर ,गंगोह, सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7074019020

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

TRUE COPY

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात1			

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर .... सेवा में, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना गंगोह । पत्रांक 3172/खअनु/एफआईआर/2024-25 दिनांक 29/03/2025 विषयः-तहसील नकुड स्थित ग्राम ततारपुर व नागल राजपूत की सीमा में अवैध खनन करने हेतु मैसर्स चोधरी ट्रांसपोर्ट द्वारा श्री सिद्वान्त रन्धावा पता-112, ग्राउण्ड फ्लोर, सन्तपुरा रोड, मडल टाउन, यमुनानगर हरियाणा के मालिकों एवं खदान संचालकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में । कृपया अवगत कराना है कि क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम खण्डलाना, राजस्व निरीक्षक गंगोह, नायब तहसीलदार नकुड, प्रभारी निरीक्षक गंगोह, खान निरीक्षक सहारनपुर, तहसीलदार नकुड, क्षेत्राधिकारी गंगोह, खान अधिकारी सहारनपुर एव उप जिलाधिकारी नकुड की संयुक्त जांच आख्या दिनांक 29.03.2025 (संलग्नक) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि:- सोशल मीडिया पर वायरल अवैध खनन की फोटोग्राफ्स का संज्ञान लेते हुए खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 29.03.2025 को तहसील नकुड स्थित ग्राम ततारपुर व नागल राजपूत की सीमा पर यमुना नदी का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पटटाधारक के प्रतिनिधि कुलदीप द्वारा उपलब्ध कराये गये एलओआई में प्रदर्शित गूगल जियो कर्डिनेट की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि पटटाधारक द्वारा उनके पक्ष में स्वीकृत पटटा क्षेत्र के बाहर उत्तर प्रदेश राज्य के तहसील नकुड के ग्राम ततारपुर व नागल राजपूत की सीमा में यमुना नदी के अन्दर नदी की जल धारा को रोक कर रेत का अवैध खनन किया गया है । उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मौके पर

TRUE COPY

दीक्षित अवार्ड के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने वाले सीमा स्तम्भों की भी जियो कर्डिनेटस के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि पटटाधारक द्वारा अपने पटटा क्षेत्र एवं सीमा निर्धारित करने वाले दीक्षित अवार्ड लाईन के सीमा स्तम्भों को पार करते हुये तहसील नकुड के ग्राम ततारपुर व नागल राजपूत की सीमा में यमुना नदी की जल धारा में कुल 7414 वर्गमीटर से औसतन 02 मीटर की गहराई से कुल 14,828 घमी साधारण बालू/रेत का अवैध खनन किया गया है। उपरोक्त आख्या से प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित होता है कि साधारण बालू/रेत खननपटटा मालिकों एवं खदान संचालकों व अन्य संलिप्त व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के उपखनिज साधारण बालू/रेत का चोरी से उप्र राज्य की सीमा के अन्दर यमुना नदी तल में जलधारा को रोककर अवैध खनन कर परिवहन करवाकर धन अर्जित किया गया है एवं उप्र राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व को क्षति पहुँचाने के साथ-साथ उप्र उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम-3, 58 व 72 एवं खान एवं विकास खनिज अधिनियम-1957 की धारा 4/21 व भान्यासं की चोरी की धारा एवं सरकारी सम्पत्ति निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि मैसर्स चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिकों एवं खदान संचालकों व अन्य संलिप्त अज्ञात अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध उप्र उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम-3, 58 व 72 एवं खान एवं विकास खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4/21 व भान्यासं की चोरी की धारा एवं सरकारी सम्पत्ति निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नकः- संयुक्त जांच आख्या दिनांक 29.03.2025 की छायाप्रति। मौके के फोटोग्राफस्। हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठित 29/03/25 (अभिलाष चौबे) खान निरीक्षक पता- खनन विभाग जिलाधिकारी कार्यालय सहारनपुर। मोः-9074010920 नोट- एफआईआर लेखक है0का0 141 विनित कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

TRUE COPY

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): UMMED KUMAR Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 010930061 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

TRUE COPY

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

30/03/25

Signature of Officer in charge Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS GANGOH
Rank I (Inspector)
No. 9454404183

TRUE COPY

ANNEXURE A-2

TRUE RELEVANT EXTRACT TRANSLATION OF FIR NO. 108 DATED 30.03.2025 UNDER SECTION 303(2) OF BNS 2023 AND UNDER SECTION 4, 21 OF THE MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1957 AND UNDER SECTION 2, 3 OF THE PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY ACT, 1984 REGISTERED WITH POLICE STATION GANGOH DISTRICT SAHARANPUR.

To, The Honorable Station House Officer, Police Station Gangoh Reference: Letter No. 3172/KhAnu/FIR/2024-25 dated 29/03/2025 Subject: Request for lodging a First Information Report (FIR) against the owners and mine operators of M/s Chaudhary Transport, including Mr. Siddhant Randhawa, resident of 112, Ground Floor, Santpura Road, Model Town, Yamunanagar, Haryana, for illegal mining in the area of Tatarpur and Nagal Rajput, located within the limits of Tehsil Nakud. Respected Sir, It is hereby informed that a joint investigation report dated 29.03.2025 (attached herewith) was conducted by the Regional Lekhpal (village revenue officer) of Khandlana, Revenue Inspector of Gangoh, Naib Tehsildar of Nakud, Inspector-in-Charge of Gangoh, Mining Inspector of Saharanpur, Tehsildar of Nakud, Circle Officer of Gangoh, Mining Officer of Saharanpur, and Sub-Divisional Magistrate of Nakud. The said report states the following: Taking cognizance of the viral photographs of illegal mining circulating on social media, the Mining and Revenue Departments conducted a joint on-site inspection on 29.03.2025 at the Yamuna River in the area of Tatarpur and Nagal Rajput, Tehsil Nakud. During the inspection, the Google geo-coordinates provided in the Letter of Intent (LOI) by the representative of M/s Chaudhary Transport, namely Kuldeep, were examined. Upon investigation, it was found that the leaseholder had engaged in illegal mining of sand by obstructing the river flow within the Yamuna River, beyond the approved mining lease area. This illegal mining occurred in the Uttar Pradesh state territory, specifically in the villages of Tatarpur and Nagal Rajput in Tehsil Nakud. Furthermore, an assessment was conducted using geo-coordinates to verify the boundary markers that define the Uttar Pradesh and Haryana state

TRUE COPY

limits as per the "Dikshit Award." It was discovered that the leaseholder had encroached beyond the designated mining lease area and the boundary markers, thereby conducting illegal mining of sand from a total area of 7,414 square meters within the Yamuna River's watercourse. The depth of the excavation was found to be approximately 2 meters, leading to the illegal extraction of 14,828 cubic meters of ordinary sand. From the contents of the investigation report, it is evident that the mining lease owners, mine operators, and other involved persons illegally extracted and transported ordinary sand without authorization, thereby earning profits while causing revenue loss to the Government of Uttar Pradesh. This act constitutes a violation of the Uttar Pradesh Minor Minerals Concession Rules, 2021 (Rules 3, 58, and 72) and the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Sections 4 and 21). Additionally, it amounts to theft of state resources and an offense under the Prevention of Damage to Public Property Act and other relevant provisions of law. Therefore, it is requested that an FIR be registered against the owners and operators of M/s Chaudhary Transport, along with other unknown persons involved in illegal mining, under the following provisions: Uttar Pradesh Minor Minerals Concession Rules, 2021 (Rules 3, 58, and 72) Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Sections 4 and 21) Theft of government property and relevant provisions of the Prevention of Damage to Public Property Act Enclosures: Copy of the Joint Investigation Report dated 29.03.2025, Photographs from the site Signed (Signature in English - illegible) Abhilash Choubey Mining Inspector Address: Mining Department, District Magistrate Office, Saharanpur Mobile: 9074010920 Gangoh, District Saharanpur Note: FIR drafted by Head Constable 141 Vinit Kumar, Police Station Gangoh.

CERTIFIED TO BE TRUE AND TRANSLATED COPY

ADVOCATE/-

ANNEXURE-A3

दैनिक भास्कर
यमुनानगर भास्कर 29-03-2025

यमुना नदी के पोबारी घाट पर बड़े स्तर पर चल रहे अवैध खनन के मामले में अधिकारियों ने लिया संज्ञान

यमुना नदी के पोबारी घाट पर टीम को मिले अवैध खनन के निशान, मौके पर 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी

अवैध खनन करने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज

भास्कर न्यूज | जठलाना

यमुना नदी के पोबारी घाट पर बड़े स्तर पर चल रहे अवैध खनन के मामले में आखिरकार अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। दैनिक भास्कर में समाचार प्रकाशित होने के बाद एसडीएम रादौर के निर्देश पर खनन विभाग की टीम ने मौके का विजिट किया। मौके पर दिन के समय ही अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा और आगामी कार्रवाई के लिए उसे थाने में सीज किया। वहीं टीम को मौके पर करीब आधा एकड़ भूमि में छह फीट तक अवैध खनन हुआ मिला। उक्त चोरी किए रेत की कीमत लाखों में है।

टीम ने मुखबिरी के आधार पर यहां अवैध खनन करने के आरोप में पांच लोगों गांव उन्हेड़ी निवासी मांगाराम, सोनू, शाना, इस्तकार व जठलाना निवासी शकील के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। बता दें कि पोबारी पर लंबे समय से अवैध खनन माफिया सक्रिय है। अब तक करोड़ों का रेत खनन माफिया यहां से बेच चुका है। लोगों का आरोप है कि यहां बड़े स्तर पर चल रहे अवैध खनन के खेल में कुछ अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत है। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। यहां अवैध खनन करने वाले आस-पास के गांव के ही लोग हैं।

जठलाना | पोबारी घाट पर पड़े अवैध खनन के निशान।

क्षेत्र निवासी बोले- जिम्मेदार अधिकारियों से हो राजस्व की भरपाई, इससे अवैध खनन पर रोक लग सकती है

क्षेत्र निवासी जसविंद्र, शेर सिंह, सर्वजीत, पंकज व सोनू का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन का खेल नया नहीं है। खनन माफिया अब तक करोड़ों का रेत बेच सरकार को राजस्व की चोट दे चुका है। वहीं अवैध खनन से यमुना नदी भी अपना रूख बदल रही है। इससे यमुना नदी के पास बसी आबादी को भी बड़ा खतरा है। आरोप लगाया कि अवैध खनन का पूरा खेल कुछ मिलीभगत अधिकारियों व कर्मचारियों की शय पर चल रहा है। अवैध खनन से सरकार को हुए राजस्व की भरपाई जिम्मेदार अधिकारियों से होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा निर्णय लेती है, तो अवैध खनन के खेल पर रोक लग सकती है।

करोड़ों का रेत चोरी कर बेच लगा रहे चूना, दूर तक पड़े अवैध खनन के निशान

पोबारी घाट पर बड़े स्तर पर हो रहा अवैध खनन, 50 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लगी

जठलाना | यमुनानगर भास्कर में प्रकाशित समाचार।

खनन अधिकारी ने पुलिस को दी यह शिकायत

पुलिस को दी शिकायत में खनन अधिकारी विनय शर्मा ने बताया कि 10 मार्च को दैनिक भास्कर द्वारा पोबारी घाट पर हो रहे अवैध खनन के संबंध में खबर प्रकाशित की गई थी। इस पर कार्रवाई करने के लिए 11 मार्च को कार्यालय के स्टाफ खनन निरीक्षक अमन व खनन लिपिक अभिषेक द्वारा ग्राम पंचायत उन्हेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि मोहित राणा के साथ मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर नदी तल क्षेत्र में करीब आधा एकड़ भूमि में 6 फीट तक ताजा अवैध खनन हुआ मिला। मौके पर टीम ने अवैध खनन से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी पकड़ थाना जठलाना में सीज किया। मौके के हालात के फोटो लिए गए। पोबारी क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्ष 2015 से रेत के खनन के लिए ठेका 9 वर्ष के लिए मैं. डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीस प्रा. लि को दिया गया था। इसकी समय अवधि 2024 में पूरी हो चुकी है। वर्तमान समय में उपरोक्त क्षेत्र में वैध खनन के लिए ठेका नहीं है। मुखबिरी मिली की यहां पर उन्हेड़ी निवासी मांगाराम, सोनू, शाना, इस्तकार व जठलाना निवासी शकील देर-सवेर मौका पाकर अवैध खनन करते हैं। इससे सरकारी राजस्व को बहुत हानि हो रही है। इसलिए पोबारी व आस-पास अवैध खनन रोकने के लिए उपरोक्त लोगों व अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि अवैध खनन रूक सके।

TRUE COPY

दैनिक भास्कर
यमुनानगर भास्कर 02-04-2025

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट | पोबारी घाट पर बड़े स्तर पर चल रहा अवैध खनन का खेल, लोगों में सरकार के प्रति जताया रोष

पोबारी घाट पर 20 एकड़ से अधिक भूमि में खनन माफिया ने खुदाई कर बेच दिया करोड़ों का रेत

निर्मल सैनी | जठलाना

यमुना नदी के पोबारी घाट पर कुछ अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर अवैध खनन के खेल चल रहा है। छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों को गुमराह कर सच्चाई छिपा रहे हैं। भास्कर टीम यमुना नदी के किनारे व रेतीले रास्ते से होते हुए सच्चाई जानने के लिए पोबारी के उस पॉइंट पर पहुंची जहां अवैध खनन हुआ है। मौके के हालात काफी झकझोर देने वाले थे। दूर तक पड़े अवैध खनन के निशान सारी कहानी खुद कह रहे हैं।

अवैध खनन के लिए नदी के अंदर मजबूत रास्ते बनाए गए हैं, ताकि ट्रैक्टर-ट्रॉली धंस न सकें। सूत्रों की मानें तो दिन-रात 50 से 55 ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध खनन के खेल में जुटे हैं। कुछ दिन पहले माइनिंग विभाग की टीम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सिर्फ आधा एकड़ भूमि में ही अवैध खनन के ताजा निशान होने की बात कही। लेकिन मौके की सच्चाई व पूरे हालात नहीं बताए गए। लोगों की मानें तो कुछ माह में ही करोड़ों रुपए का रेत खनन माफिया यहां से चोरी कर सरकार को राजस्व की भारी चोट दे चुका है।आरोप है कि अधिकारियों को सबकुछ पता था, लेकिन कार्रवाई करने की बजाए अवैध खनन माफिया को शय दी गई।

यमुना नदी के पोबारी घाट पर पडे अवैध खनन के निशान।

अभी इसकी जांच करते हैं: विनय शर्मा

वहीं मामले को लेकर माइनिंग अधिकारी विनय शर्मा ने कहा कि पोबारी घाट पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, लेकिन यहां इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन हुआ है, यह जानकारी नहीं है। वह अभी इसकी जांच करते हैं।

वीडियोग्राफी में जांच कर होनी चाहिए कार्रवाई: वरयाम

अवैध खनन व ओवरलोड के खिलाफ हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट वरयाम सिंह का कहना है कि बिना अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत के अवैध खनन नहीं हो सकता। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतें भी कीं लेकिन कुछ मिलीभगत अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनकी शिकायतों को झूठी बता बड़े अधिकारियों को गुमराह करने का कार्य किया। जिस कारण मजबूरन उन्हें सच्चाई उजागर करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अभी भी बड़े अधिकारियों से अवैध खनन की सच्चाई छुपाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सच्चाई जानने के लिए वीडियो ग्राफी में जांच होनी चाहिए। अवैध खनन के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।

मिलीभगत से चल रहा अवैध खनन का खेल

क्षेत्र निवासी रामबीर सिंह, सुमेर, शेर सिंह, जसविंद्र, पंकज, सतपाल, सर्वजीत व सतनाम सिंह का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन का खेल पिछले कई माह से चल रहा है। शिकायतें भी की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि खनन माफिया व कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह खेल चल रहा है। अवैध खनन से यमुना नदी लगातार अपना रूख बदल रही है। किनारे टूट रहे हैं। अवैध खनन करने के लिए पहले नदी किनारे काटे जाते हैं। फिर पक्के रास्ते बनाए जाते हैं। क्षेत्र में एक पुलिस थाना, डायल 112 की गाड़ी, एक पुलिस चौकी खुली है। वहीं माइनिंग, स्टेट इंफोर्समेंट, सीएम फ्लाइंग की टीमें अलग है, फिर भी इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन का खेल रुक नहीं रहा।

TRUE COPY

Gmail **Mustafa Sajad <mustafasajad.legal@gmail.com>**

Advance Service - Additional Affidavit on behalf of the Applicant in OA No. 101 of 2025 -Pradeep Dahiya Vs. Department of Mines and Geology, Haryana & Ors.

1 message

Mustafa Sajad <mustafasajad.legal@gmail.com> 3 April 2025 at 11:26
To: me.mines-hry@nic.in, cs@hry.nic.in, environment@hry.nic.in, "DCYADAV747@gmail.com" <DCYADAV747@gmail.com>, hqhspcb@hspcb.org.in

Dear Sir/Madam,

I am writing to formally notify you that I am filing an Additional Affidavit on behalf of the Applicant in OA No. 101 of 2025. Please find attached herewith the advance copy of the Additional Affidavit in the captioned matter that I am filing on instructions of my client Mr. Pradeep Dahiya.

Service to:

1.**Respondent No. 1**: Mines & Geology Department, Through, The Additional Chief Secretary, Haryana Government, Haryana Civil Secretariat, Sector-17, Chandigarh.

2.**Respondent No. 2:** State Of Haryana, Through Chief Secretary, Government of Haryana, 4th Floor, Civil Secretariat, Sector-1, Chandigarh-160001

3.**Respondent No. 3**: State level Environment Impact Assessment Authority, Haryana Through Bays No. 55 - 58, Parytan Bhawan,1st floor, Sector 2, Panchkula, Haryana 134115.

4.**Respondent No. 4**: Haryana Pollution Control Board, Through Regional Officer, 2nd floor of SCO No. 78-79 above PNB bank, Near Namstay Chowk, Karnal, Haryana.

5.**Respondent No. 5:** M/s Chaudhary Transport Company, House No. 112, Ground Floor, Santpura Road, Model Town, Yamuna Nagar, Haryana

Regards

Mustafa Sajad
Advocate

Additional Affidavit Pradeep Dahiya.pdf
3866K